भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 360
उत्तर देने की तारीखः 24.06.2019

12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस)

360. श्री दीपक बैजः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के अंतर्गत भोजन प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना के विस्तार हेतु राज्यों से प्राप्त सुझावों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जी, नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार VIIIवीं कक्षा तक अथवा 6-14 वर्ष के आयु समूह के भीतर बच्चे स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलों, सरकारी और सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त स्कूलों में स्कूल अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन निःशुल्क एक मध्याह्न भोजन प्राप्त करने के पात्र हैं ताकि अधिनियम में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके। तथापि, राज्य सरकारें कक्षा VIII से आगे भी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार कर सकती है। तेलंगाना की राज्य सरकार कक्षा IX-X के बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान कर रही है और कर्नाटक की राज्य सरकार कुछ स्कूलों में तथा आंध्र प्रदेश एवं पुद्दुचेरी तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने स्वयं के संसाधनों से कक्षा XII तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान कर रहे हैं।

****